भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वाराणसी

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle, Varanasi

नीलामी सूचना / Auction Notice

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपयोग में न लाई जा सकने वाली टी. एंड पी. के निपटान/नीलामी के सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के माध्यम से ऑनलाइन उद्धरण अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित है। यह सूचना GeM पोर्टल पर दिनांक 16/12/2024 को 15:00 बजे जारी किया जायेगा और दिनांक 23/12/2024 को 17:00 बजे तक मान्य रहेगी।

Online quotation through Government e Market (GeM) of disposal/auction of unserviceable T&P on the behalf of President of India by the Superintending Engineer, Hydrological Observation Circle, Central Water Commission, Varanasi are invited and the same will be floated on GeM portal on 16/12/2024 at 15:00 hrs and will be valid till 23/12/2024 at 17:00 hrs.

शर्तें निम्नानुसार है/ Condition are as below :-

1. जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी कार्यालय में अनुपयोगी टी. एंड पी. पड़ा हुआ है। चूँकि सामान पुराना, गन्दा और जंग आदि लगा हुआ है, इसलिए बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे भाग लेने पहले सामान का निरीक्षण दिनांक 16/12/2024 को 15:00 बजे से दिनांक 23/12/2024 को 13:00 बजे तक जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी कार्यालय में अपने स्वयं के खर्च पर कर सकते है।
   Unserviceable T&P is lying under Hydrological Observation Circle, Varanasi office. As the items are old, soiled and rusted due to this it is requested to bidders that they must visit the office before participation. The items can be inspected from 16/12/2024, 15:00 Hrs to 23/12/2024 13:00 Hrs by reaching Varanasi office at your own expense.
2. अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मण्डल-3, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी के पक्ष में अधिसूचित बैंक से खाता प्राप्तकर्ता डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में कोटेशन के साथ रु. 1,000/- (रूपये एक हज़ार) मात्र की धनराशि संलग्न की जानी चाहिए। ईएमडी को निलामी से पूर्व अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा नीलामी बोली को अस्वीकार कर दिया जायेगा। डीडी जमा करने के बाद बोली लगाने वाले को नीलामी में भाग लेना होगा। बंद लिफ़ाफे के ऊपर दिए गए निर्धारित समय सीमा के अन्दर अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, वाराणसी कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजें अथवा उपर्युक्त कार्यालय के पते पर प्रस्तुत करें। (नोट:- इस संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिये फ़ोन नंबर- 0542-2282302 या मोबाइल नंबर- 8077584484 पर सम्पर्क किया जा सकता है।)
   Money of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) must be enclosed in the form of an A/C Payee DD/ Banker's cheque from a scheduled bank in favour of Executive Engineer, Middle Ganga Division-III, Central Water Commission, Varanasi. The EMD must be submitted to office of Superintending Engineer, Hydrological Observation Circle, Central Water Commission, Varanasi before opening of auction otherwise auction bid will be rejected. Also, once DD is submitted bidder must have to participate in the auction. The envelope should be addressed to Superintending Engineer, Hydrological Observation Circle, Central Water Commission, Varanasi or sent through registered post so as to reach us within the stipulated time as given above or submit at office address mentioned above. (Note:- For any information in this regard, you can contact on phone number- 0542-2282302 or mobile number- 8077584484.)
3. किसी भी सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
   Any conditional bid shall not be entertained and shall be rejected.
4. बिक्री की पुष्टि के बाद रखी गई शर्तों की गलतफ़हमी या अज्ञानता की कोई दलील स्वीकार नहीं की जाएगी।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वाराणसी

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle, Varanasi

No plea of misunderstanding or ignorance of conditions put forth subsequent to the confirmation of sale shall be accepted.

5. दर GeM पोर्टल में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार उद्धत की जानी चाहिए ।

   Rate should be quoted as per the options available in GeM Portal.

6. बोली लगाने वालों के पास एक पंजीकृत फर्म, मान्य जी.एस.टी पंजीकृत संख्या, पैन, आधार पता प्रमाण होना चाहिए ।

   Bidder must have a registered firm and have a valid GST registration No., PAN, Aadhar/ Address Proof and must submit to this office with EMD before date of EMD submission as on GeM portal.

7. बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में कोई अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

   Any other information can be obtained from Office on any working day on up to the last date of submissions of bids.

8. सशर्त या अप्रतिभागी नीलामी को सरसरी तौर पर ख़ारिज कर दिया जायेगा और ईएमडी ज़प्त कर ली जाएगी ।

   Conditions auction will be summarily rejected and EMD will be forfeited.

9. अगर निर्धारित रीति में अपूर्ण बोलियों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता तो उन पर विचार नहीं किया जायेगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

   Incomplete bids not confirming strictly in the manner prescribed/ offer shall not be considered and shall be summarily rejected.

10. प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव उन सभी निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे जो नीलामी प्रपत्र में उल्लेखित होंगे, उसके साथ यहाँ दिए गए नियम और शर्तों का भी पालन किया जायेगा । नीलामी के बाद कोई समझौता वार्ता नहीं होगी।

    The offers submitted would be governed by all the terms and conditions as laid down the prescribed Auction Form in addition to the Terms & Conditions indicated herein. There would be no post auction negotiation.

11. नीलामी को अंतिम रूप देने पर असफल बोलीदाताओं को ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जायेगा ।

    The EMD would be refundable to unsuccessful bidder on finalization of the auction and shall carry no interest whatsoever.

12. जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग की जाती है तो बोलीदाताओं को मूल रूप से सभी या कोई दतावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

    The bidder will have to produce all or any documents in original whenever asked by the Competent Authority.

13. सक्षम प्राधिकारी किसी कारण/ नोटिस सौंपे बिना, किसी भी कारण को स्वीकार किये बिना अथवा सभी नीलामी बोलियों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अरक्षित करता है और उच्चतम नीलामी दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है । सक्षम अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी स्तर पर नीलामी की जाँच को ख़ारिज करने का अधिकार रखता है और इच्छुक पक्षकारों द्वारा खर्च की गई किसी भी लागत और परिणाम के लिए सक्षम अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा ।

    The Competent Authority reserves the right to accept or reject any or all auction Bids without assigning any reason/Notice whatsoever and are not bound to Accept the Highest Auction rates. The Competent Authority also reserves the right to scrap the Auction inquiry at any stage without assigning any reason

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वाराणसी

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle, Varanasi

and Competent Authority will not be liable for any costs and consequences incurred by the intending Bidder.

14. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि जमा करने के 7 दिनों के भीतर खरीदी गई वस्तु अवशेषों सहित पूरी तरह से इस कार्यालय से हटाना/ उठाना होगा। ऐसा करने में विफ़ल होने पर ईएमडी ज़प्त कर ली जाएगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर वसूल की जाएगी।
The successful Bidder has to lift the goods including scrap and soiled items completely within 7 working days from the date of deposit of full Payment failing which the EMD shall be forfeited and pecuniary if any shall be recovered from him.
15. खेप लोड होने और बोली लगाने वाले को सौंपने के बाद विक्रेता की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। लोडिंग पूरी होने के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में विक्रेता का कोई पक्ष नहीं होगा।
The seller's responsibility ends after the consignment has been loaded and handed over to the bidder. The seller will be no party to any dispute that may arise after the loading has been completed.
16. अनुपयोगी टी एंड पी सामग्री/ वस्तुओं के लिए क्रेता को पूरा भुगतान करने के बाद अधोहस्ताक्षरी चोरी, आग या किसी अन्य अप्रत्यशित आपदा के कारण हुई क्षति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
The undersigned will not entertain any claim for damage done by the way of theft, fire or any other unforeseen calamity after full payment has been made to the purchaser against the Unserviceable T&P Material/items.
17. सफल बोलीदाताओं को पत्र, मोबाइल अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा बोली स्वीकार करने के बारे में सूचित किया जायेगा।
The successful bidders will be informed as to the acceptance of his/her bid by letter/mobile and any other mode of communication.
18. सफल बोलीदाता नीलामी की स्वीकृति के तीन दिनों के भीतर नीलामी की राशि डीडी अथवा चेक के माध्यम से अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मण्डल-3, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी के पक्ष में अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी कार्यालय में जमा करवा दें। नीलामी की राशि जमा करवाने में विफ़ल होने पर बयाना की धनराशि ज़प्त कर ली जाएगी और वस्तु अगले उच्चतम बोली दर वाले बोलीदाताओं को बेच दी जाएगी।
The successful Bidders shall deposit the amount of the Auction within three days of the acceptance of his Auction through DD/ cheque in favour of Executive Engineer, MDG-3 CWC, Varanasi and deposit at Superintending Engineer, Hydrological observation circle, Central Water Commission, Varanasi office failing which the Earnest money will be forfeited and the articles will be sold to next highest quoted rate Bidder.
19. किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले सभी कर और किसी भी प्रकार के अन्य प्रभार क्रेता द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अतिरिक्त देय होंगे।
All taxes and other charges of any nature whatsoever liveable by any Government authority shall be payable by the buyer in addition to the price offered.
20. ख़रीददार परिवहन के लिए अपनी व्यवस्था करेगा और वह कार्यालय से परिवहन के लिए किसी भी सुविधा या सहायता का दावा करने का हक़दार नहीं होगा। यदि मूल क्रेता प्रतिनिधि के माध्यम से ख़रीदे गए माल की सुपुर्दगी लेना चाहता है तो उसे प्रतिनिधि को प्राधिकार के पत्र द्वारा अधिकृत करना होगा। यह प्राधिकार पत्र उस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जहाँ वस्तु रखी गई है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वाराणसी

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle, Varanasi

The buyer shall make his own arrangements for transport and will not be entitled to claim any facility or assistance for transport from the office. If the original buyer wishes to take delivery of the goods purchased through representative, he must authorize the representative by a letter of authority of which shall be presented to the office in which the stock is held.

21. क्रेता द्वारा भंडार धारक को निर्मोचन आदेश पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के भीतर वितरित किया जायेगा ।
Delivery will be given during the working hours on all working days on presentation of the release order by the buyer to the stock holder.

Signed by Akhilesh Kumar Jha
Date: 12-12-2024 17:29:18
Reason: Approved

(अखिलेश कुमार झा)
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ / Copy for information:-

1. लेखानुभाग, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी ।
   Account Section, Central Water Commission, Varanasi.
2. सूचनापट्ट, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी ।
   Notice Board, Hydrological Observation Circle, Varanasi.
3. केन्द्रीय जल आयोग के web portal cwc.gov.in तथा GeM portal gem.gov.in

आकाशदीप (प्रथम तल),
पन्नालाल पार्क, वाराणसी -221002 (उ0प्र0)
दूरभाष: 0542-2282302,फैक्स: 0542-2282309
ई मेल: sehocvaranasi-cwc@nic.in
♦जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य♦

1st FloorAkashdeep,
Pannalal Park, Varanasi – 221002 (U.P)
Tel: 0542-2280302, Fax: 0542-2282309
E-mail: sehocvaranasi-cwc@nic.in
♦Conserve Water- Save Life♦